संख्या-15/2016/एस-3-164/दस-2016-ब(1)/2015

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उत्तर प्रदेश,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक31मार्च, 2016

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-03-मुख्य" के मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 4324/2 (दो)/2015-2016/ को0नि0/बजट दिनांक 30-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13 कोषागारों के वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु शासन द्वारा रू0 84,48,258.00 की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाहनों के क्रय में एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि के कारण अंतर की धनराशि रू0 2,49,717.00 का भुगतान मै0 महिन्द्रा को किया जाना है, जिसमें से निदेशालय के निवर्तन पर अवशेष धनराशि को हटाते हुये रू0 1,83,326.00 की आवश्यक्ता है। जिसके कारण लेखार्शीषक-2054-097-03 के मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1,84,000.00 की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय संलग्न पुर्नविनियोग आदेश संख्या-आर0ई0-824 दिनांक31-3-2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-01 मानक मद वेतन में से होने वाली बचतों से इसी लेखा शीर्षक के मानक मद-14 स्टाफ कार का क्रय के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 1,84,000.00(एक लाख चौरासी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया उक्त मद में व्यय उक्त सीमा तक ही सीमित रखा जाय ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त ।

(राज रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2016 /एस-3-164(1)/दस-2016-ब(5)/2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रपत्र बी0एम0 - 9 की प्रति सहित ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)आडिट उ0प्र0, इलाहाबाद की प्रति सहित ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रपत्र बी0एम0-9 की प्रति सहित ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी. एम. 9, तीन प्रतियो में)

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल ।

संलग्नक- यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0 -9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष, 2015-16 **(धनराशि हजार रूपये में)**

अनुदान संख्या-63, बजट नियंत्रक- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-01-वेतन	900000	256654	184	184	899816
योग	900000	256654	184	184	899816

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त् विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-14	8450	8634	184	184	8634
योग	8450	8634	184	184	8634

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का विवरण निम्नानुसार है :-

कोषागारों में कार्मिको के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन मद में होने वाला व्यय कम है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

1. प्रदेश के 13 कोषागारों के वाहनों का प्रतिस्थापन किया जाना है। वर्तमान में एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि होने के कारण 13 वाहनों के प्रतिस्थापन के माध्यम से क्रय हेतु लेखाशीर्षक"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन -आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद-14 स्टाफ कार का क्रय में रू0 184 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता है, जिसे लेखाशीर्षक"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद-01 वेतन में से सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-824 दिनांक-31-03-2016

सेवा में , महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

(राज रतन)
उप सचिव

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 15/2016/एस-3-143/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)
5- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।